सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 07 जून, 2024 ई0

ज्येष्ठ 17, 1946 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 170/XXXVI(3)/2024/02(1)/2024

देहरादून, 07 जून, 2024

शुद्धिपत्र

CORRIGENDUM

उत्तराखण्ड शासन के राजपत्र विधायी परिशिष्ट भाग–1 खण्ड (क) में अधिसूचना संख्या 118/XXXVI(3)/2024/02(1)/2024, दिनांक 16 मार्च, 2024 के द्वारा सर्व–साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित "उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण (संशोधन) अधिनियम, 2024 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 08, वर्ष– 2024) में प्रकाशित 'उद्देश्यों और कारणों का कथन' के स्थान पर निम्नवत् 'उद्देश्य और कारणों का कथन' एवं 'Statement of Purpose and Reasons' पढ़े जायेः–

धनंजय चतुर्वेदी,
प्रमुख सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

उद्देश्य और कारणों का कथन

"उत्तराखण्ड राज्य मे नदियों के बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण के लिए उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 8 में बाढ़ मैदान क्षेत्रों को चिन्हित करने के राज्य सरकार के आशय की घोषणा करने की शक्ति दी गयी है। इसी प्रकार धारा 12 की उपधारा (1) मे बाढ़ मैदानों में गतिविधियां प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदान की गयी है। उत्तराखड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 (समय–समय पर यथासंशोधित) की धारा 12 की उपधारा (1) के परन्तुक में इस प्रकार की कोई अधिसूचना धारा 8 के अधीन जारी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अठारह मास के समाप्ति के पश्चात किये जाने पर प्रतिबंध है। इस कार्य हेतु अठारह मास की समय सीमा कम है अतः राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि उक्त अठारह मास की अवधि को चौबीस मास नियत कर लिया जाय, साथ ही जनहित को दृष्टिगत् रखते हुए उक्त धारा में निम्नलिखित परन्तुक (ii) सम्मिलित कर लिया जाय–

परन्तु यह और कि, यदि राज्य सरकार जनहित में निर्णय लेती है, नदी क्षेत्र के तटीय विकास कार्य एवं सुरक्षात्मक कार्य करने से इस क्षेत्र में प्रभावित होने वाली भू–सम्पदा तथा मौजूदा भवन संरचनाओं को सुरक्षित किया जा सकता है तो निर्गत अन्तिम अधिसूचना में धारा–8,9,10 तथा 11 में विनिर्दिष्ट प्रकिया का अनुपालन करते हुए आवश्यकता अनुसार संशोधन कर सकेगी।

2– प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।"

सतपाल महाराज
मंत्री

Scanned with OKEN Scanner

Statement of Purpose and Reasons

"The Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012 has been enacted for flood plain demarcation of rivers in the state of Uttarakhand. The power to declare the intention of the State Government to identify flood plain areas is given in section 8 of the said Act. Similarly, in sub-section (1) of Section 12, the State Government has been given the power to prohibit or restrict activities in the flood plains. In the proviso to sub-section (1) of the section 12 of the Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012 (as amended from time to time), there is restriction on any notification after the expiry of eighteen months from the date of publication of the notification issued under section 8. The time limit of eighteen months is short for this work, therefore, after due consideration, the State Government has decided that the period of the said eighteen months should be fixed at twenty-four months, and keeping in view the public interest, the following proviso(ii) should be included in the said section-

Provided further that, if State Government take decision in the public interest, that affected land and existing buildings can be protected by executing river bank development, the final notification issued, may be amended as per the requirement by following the procedure prescribed under section 8,9,10 and 11.

2. The proposed Bill fulfills the above objective."

SATPAL MAHARAJ
Minister

Scanned with OKEN Scanner